

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccfdupur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (34 / ट्रांसमिशन लाइन) एफसीए/मुवसं/2023-24/1639 दिनांक :- 04-03-2024
निमित्त,


अतिरिक्त-प्रधान, मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020

प्रसंग :- आपका ईडीएस पत्र क्रमांक एफ 16 (TRAN) 2020/एफसीए/प्रमुवसं/6971 दिनांक 02.8.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में आप द्वारा चाही सूचना / स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़ द्वारा उनके पत्रांक एफ ()एफ.सी.ए. /उवसं/1128 दिनांक 09.02.2024 से बिन्दुवार सूचना तैयार कर ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है। अतः वनमण्डल, चित्तौडगढ़ से प्राप्त सूचना ऑनलाईन कर हार्ड कॉपी में इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	पालना रिपोर्ट अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के.वी./11 के.वी. पारेषण लाइन डाला जानी है किन्तु DGPS गैप में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावेगी उसका ले आउट किया जाना प्रस्तवित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावानुसार 33 के.वी. पारेषण लाईन का ले-आउट प्लान तैयार कर अपलोड कर दिया गया है। एनेक्चर-1
2	पालना अपूर्ण। रोजगार सृजन की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के निर्माण में कितने रोजगार सृजन किये जावेगे यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के निर्माण में रोजगार सृजन की सूचना अंकित कर दी गई है। एनेक्चर-2
3	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित अनुपालना संतोषजनक नहीं है उप वन संरक्षक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम घनत्व वाले वन क्षेत्र में प्रस्तावित करे एवं भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम घनत्व वाले वन क्षेत्र का चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न कर दी गई है। एनेक्चर-3
4	पालना अपूर्ण। प्रकरण पारेषण लाईन के निर्माण से संबंधित है। इसमें वृक्षों का पातन टावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः उप वन संरक्षक इस आशय से पुनर्विचार कर स्पष्ट करे कि कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।	वृक्षों का पातन टावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु 15 वृक्षों का विदोहन का अनुभव प्राप्त कर लिया गया है। एनेक्चर-4
5	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा गदीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड प्रति में संलग्न की गयी है किन्तु ऑनलाईन नहीं की गयी है।	ऑनलाईन प्रेषित कर दिया गया है। Digitally signed by  Date: 2024.03.03 17:25:42 IST Reason: Approved

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



भवदीय

(सुनील चिदी, भूपने)
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सर्किल, चित्तौड़गढ़-312001; Ph & Fax : 01472-231049; email : dcf.chitr.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2023 -24/ 1/28

दिनांक : 02.2.2024

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर



विषय :- Creation of 33/11 KV line to new grid station Jogniya Mata proposal No. FPRJ/TRANS/50545/2020

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16 (TRANS) 2020/एफसीए/प्रमुखसं/6971 दिनांक 28.2.2023 के क्रम में।

संदर्भ :- सहायक अभियन्ता, (प च स) अ.वि.वि.नि. लि., वेणु का पत्र क्रमांक 2185 दिनांक 25.1.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदर्भित पत्र से प्रस्तुत की है तथा इस कार्यालय से संबंधित आक्षेपों की पूर्ति की जाकर प्रस्ताव पुनः प्रेषित है।

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	पालना रिपोर्ट अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के.वी./11 के.वी. पारेषण लाईन डाला जाभी है किन्तु DGPS सेब में दोनों लाईन किस प्रकार डाली जावेगी उसका ले आउट किया जाना प्रस्तवित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावानुसार 33 के.वी. पारेषण लाईन का ले-आउट प्लान तैयार कर अपलोड कर दिया गया है। एनेक्चर-1
2	पालना अपूर्ण। रोजगार सृजन की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के निर्माण में किसानों रोजगार सृजन किये जावेगें यह सथ्य अंकित नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाईन के निर्माण में रोजगार सृजन की सूचना अंकित कर दी गई है। एनेक्चर-2
3	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित अनुपालना संतोषजनक नहीं है उप वन संरक्षक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम धनराश वाले वन क्षेत्र में प्रस्तावित करे एव भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कम धनराश वाले वन क्षेत्र का चयन कर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न कर दी गई है। एनेक्चर-3
4	पालना अपूर्ण। प्रकरण पारेषण लाईन के निर्माण से संबंधित है। इसमें वृक्षों का मातन टावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः उप वन संरक्षक इस आशय से पुनर्विचार कर स्पष्ट करे कि कुल कितने वृक्षों का विदीहन किया जावेगा।	वृक्षों का मातन टावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से अनुमत वृक्षों के मातन व 15 प्रतिशत वृक्षों के मातन का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है। एनेक्चर-4
5	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड प्रति में संलग्न की गयी है किन्तु ऑनलाईन नहीं की गयी है।	नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन कर दी गयी है। एनेक्चर-5

FCR
20/1/24
Put up

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(विजय शंकर पाण्डेय)

Signature

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2023 -24/

प्रतिलिपि :- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं मोडल सुचारु प्रेषित है।



Digitally signed by Vijay Shankar Pandey
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.02.09 13:44:14 IST
Reason: Approved

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

Signature valid

RajKa: Ret
5.2.1 3

Digitally signed by Vijay Shankar
Pandey
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.02.09 16:44:14 IST
Reason: Approved